


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश ::--

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.19 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 की अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	प्रभा राठोड, कोटडा, उदयपुर	जीव विज्ञान	02.10.2018 से 05.10.2018 तक 04 15.11.2018 से 17.11.2018 तक 03 20.11.2018 से 22.11.2018 तक 03 26.11.2018 से 30.11.2018 तक 05 1.12.2018 से 05.12.2018 तक 05 14.12.2018 से 15.12.2018 तक 02 चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	22	अवैतनिक अवकाश
2	आलोक भरद्वाज, काशीपुरा, करौली	रसायन विज्ञान	21.08.2017 से 13.09.2017 तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	24	अवैतनिक अवकाश
3	दर्शना सैनी, मौजपुर, अलवर	जीव विज्ञान	08.08.2017 17.08.2017 से 19.08.2017 तक 01.12.2018 से 21.12.2018 तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर	25	अवैतनिक अवकाश



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश/2018-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
03. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि।
04. संबंधित कार्मिक।
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. रक्षित पत्रावली।

दिनांक 03/01/2020


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर